वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१७

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तर्यों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-2 दिनांक 11.04.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि ऐसे व्यवहारी, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर के संदाय के लिये विकल्प का प्रयोग किया है, द्वारा संदेय कर नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारियों के वर्ग से उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा वर्णित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा, अर्थात :-

सारणी

લાંસ્યા				
क्र.सं.	व्यवहारियों का वर्ग	कर की दर (%)		
1	2	3		
1.	धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी	2		
2.	धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी	0.5		

यह 01.4.2017 से प्रवृत्त होगी।

[एफ. 1 2 (1 4) वित्त/कर/2017-80] राज्यपाल के आदेश स्रे,

> शंकर लाल कुमावत, संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this department's notification number F.12(63)FD/Tax/2005-2 dated 11.04.2006, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, notifies that the tax payable by the dealer who has exercised option for payment of tax under sub-section (2) of section 3 of the Act, shall be levied, from the class of dealers as mentioned in column number 2 of the table given below, at the rate as mentioned in column number 3 of the said table against each of them, namely:-

TABLE

S.No.	Class of Dealers	Rate of Tax (%)
1	2	3
1.	Dealers as specified in clause (b) of sub-section (1) of Section 3	2
2.	Dealers as specified in clause (c) of sub-section (1) of Section 3	0.5

This shall have effect from 01.04.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-80] By order of the Governor,

(Shankar Pal Kumawat)

Joint Secretary to the Government